87/2017
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

**अपील सूचना अधिकार संख्या 87/2017 अनवानी श्री सन्दीप कुमार बिडासरा पुत्र श्री खिराज सिंह गांव व डाकखाना लाडवी तहसील आदमपुर जिला हिसार राज्य हरियाणा बनाम तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर**

**17–01–2018**

**पत्रावली** पेश हुई। अपीलार्थी श्री सन्दीप कुमार उपस्थित है। तहसीलदार, सादुलशहर का प्रतिवेदन संख्या विविध/2017/02 दिनांक 17.01.18 शामिल किया गया। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी श्री संदीप कुमार का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2017 के द्वारा तहसीलदार, सादुलशहर से चाही गई सूचना के संबंध में उनके द्वारा पत्र सं0 143 दिनांक 27.09.17 से उसे अवगत करवया गया है कि रिकार्ड पुराना है जिसे दीमक द्वारा नष्ट करना बताकर केवल अन्य पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई है, पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र के सलंग्न दस्तावेज की प्रतियां उपलब्ध नही करवाई गई है। उनके द्वारा दुर्भावना के तहत कार्य करते हुए रिकार्ड दीमक द्वारा नष्ट करना बताया है जो सत्य प्रतीत नही होता है। जबकि मांगे गये दस्तावेज उनके द्वारा कई बार सूचना आयोग में पेश किये जा चुके है और सूचना आयोग द्वारा किसी अन्य प्रार्थी को यह दस्तावेज उपलब्ध करवाने के निर्देश भी उन्हे दिये गये है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान किया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सन्दीप कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सादुलशहर से निम्न सूचना चाही थी:–

1. कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर द्वारा 29.11.2006 से 01.12.2006 तक जारी किए गये अन्य पिछड़ी जाति की प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने की कृपा करें।
2. उपरोक्त प्रमाण पत्रों को लेने के लिए प्रार्थीयो द्वारा जमा करवाये गये सभी दस्तावेजा जैसे की आवेदन पत्र, शपथ पत्र, वोटर कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एंवम अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने की कृपा करे।
3. प्रथम अपीलय अधिकारी का पद नाम व पूरा पता लिखित रूप से देने का कष्ट करे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संख्या विविध/2017/02 दिनांक 17.01.18 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपयां उपलब्ध करवा दी गई है।

17/1/18
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

8/11/17
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर



तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर ने अपने पत्र सं0 विविध/2017/143 दिनांक 27.09.17 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:–

बिन्दु सं0 1–कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर द्वारा दिनांक 29.11.2006 से 01.12.2006 तक जारी किये गये अन्य पिछड़ी के प्रमाण पत्र सम्बन्धी रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित है। प्रमाण पत्र सम्बन्धी रिकार्ड पुराना होने से स्टोर रूम में रखा हुआ था जिसे दीमक द्वारा नष्ट कर दिया गया है।

बिन्दु सं0 2–अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्रों सम्बन्धी प्रार्थीयो द्वारा जमा करवाये गये सभी दस्तावेज जैसे की आवेदन पत्र, शपथ पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवंम अन्य दस्तावेज सम्बन्धी रिकार्ड पुराना होने से स्टोर रूम में रखा हुआ था जिसे दीमक द्वारा नष्ट कर दिया गया है।

बिन्दु सं0 3– प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर।

तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर द्वारा पत्र दिनंक 27.09.17 के अनुसार उनके कार्यालय में उपलब्ध पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र संबंधी रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई है शेष दस्तावेज से संबंधीत रिकार्ड पुराना होने की वजह से स्टोर रूम में रखा हुआ था जो दीमक द्वारा नष्ट कर दिये जाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 27.09.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए: अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

8/11/17
जिला कलेक्टर

87/17
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर



उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.1.18

( ज्ञाना राम )
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर